न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –16/2016 जिला सीकर।

उच्छव कंवर पुत्री मंगेज सिंह पत्नि मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम सरदारपुरा, तहसील फतेहपुर, हाल निवासी ग्रम लादडिया, तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. चतर सिंह पुत्र मंगेज सिंह, जाति राजपूत निवासी सरदारपुरा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
2. देवी सिंह
3. हरि सिंह
4. महेन्द्र सिंह
   पुत्रान भंवर सिंह
5. भंवर कंवर पत्नि भंवर सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी सरदारपुरा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
6. प्रधान सिंह पुत्र सवाई सिंह
7. लिछमण सिंह पुत्र सवाई सिंह
8. मंगेज कंवर पत्नि सवाई सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी सरदारपुरा तहसील फतेहपुरा, जिला सीकर ।
9. हल्का पटवारी पटवार हल्का माण्डेला बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।
10. उप पंजीयक फतेहपुर, उप पंजीयन कार्यालय फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
12. ग्रम पंचायत माण्डेला बडा, जरिये सरपंच , पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर ।
13. उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर , तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर, जिला सीकर दिनांक 25.3.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार सैन
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 1.5.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 25.3.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम सरदारपुरा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 48/3 रकबा 3.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69/2 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.28 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 116 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 6.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122/1 रकबा 1.45 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 41/3

रकबा 6.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69/124 रकबा 0.67 हैक्टेयर, की खातेदारी सोहनी धर्मपत्नि त्रिलोकराम, जाति जाट, देवाराम पुत्र मेगाराम, चतर सिह पुत्र मंगेज सिंह , सुगन कंवर बेवा मंगेज सिंह, देवी सिंह , हरि सिंह, महेन्द्र सिंह पि. भंवर सिंह, रूकमणी देवी धर्मपत्नि जवाहर लाल खीचड वगैहरा थे । उक्त खातेदारों में से सुगन कंवर बेवा मंगेज सिंह के फोत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 309 सरपंच ग्रम पंचायत माण्डेला दडा द्वारा दिनांक 20.10.2006 को सुगन कंवर के स्थान पर पुत्री के नाम को छोडकर चतर सिह के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतका सुगन कंवर बेवा मंगेज सिंह की पुत्री अपीलान्ट उच्छव कंवर द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्ण्य दिनांक 25.3.2015 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में एक अपील उनके निर्णय दिनांक 23.7.2009 के विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में विचाराधीन रहने एवं उसमें आदेश व डिक्री दिनांक 23.7.2009 मु.नं. 104/01 की कियान्विति स्थगित की जाकर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित होने से एवं अपील के विचाराधीन रहते हुये इस प्रकरण में आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुये अपील की कार्यवाही स्थगित रखी गई ।

उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर , जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 25.3.2015 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.3.15 व नामांतरकरण संख्या 309 दिनांक 20.10.2006 निरस्त करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं आने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी मृतक खातेदार सुगन कंवर की जायन्दा पुत्री होने से अपनी माता की भूमि में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है , लेकिन उनकी माता की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलार्थी को छोडते हुये केवल पुत्र चतर सिंह के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलार्थी की अपील में अधीनस्थ न्यायलाय को दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर नामांतरकरण के वैध व अवैध होने के संबंध में निर्णय करना चाहिये था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अन्य प्रकरण में स्थगन होना एवं अपील विचाराधीन होने के कारण अपील की कार्यवाही स्थगित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका यह भी कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलाधीन आदेश न्याय के सामान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी खातेदार की निर्वसियत स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो उसके समस्त विधिक वारिसान को समान हक हिस्सा विरासत में प्राप्त होगा तथा सभी जीवित वारिस समान हक हिस्सों के मालिक स्वामी होगें , लेकिन ग्रम पंचायत ने नियमों की अनदेखी करते हुये विधिक वारिस अपीलान्ट को छोडकर केवल पुत्र के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण के विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक नहीं है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार सुगन कंवर बेवा मंगेज सिंह की विरासत के नामांतरकरण का है । खातेदार सुगन कंवर की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 309 दिनांक 20.10.2006 ग्रम पंचायत माण्डेला दडा द्वारा पुत्री के नाम को छोड कर केवल पुत्र चतरसिंह के नाम स्वीकार किया है । अपीलार्थी उच्छव कंवर मृतक खातेदार सुगन कंवर की जायन्दा पुत्री होने के कारण अपनी माता की भूमि में हक चाहती है ।

विवादित भूमि के संबधं में अपीलार्थी उच्छव कंवर द्वारा एक दावा बाबत उद्घोषणा व बंटवारा उनवानी उच्छव कंवर बनाम सुगन कंवर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें निर्णय/डिक्री दिनांक 23.7.2009 से वाद वादिनी आंशिक डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस प्रकार जारी की गई कि ग्रम सरदारपुरा तहसील फतेहपुर के खसरा नम्बर 69/124, 41/3, 48/3 116, 69/2 114, 115 में चतर सिंह पुत्र मंगेज सिंह के नाम वर्तमान में दर्ज हिस्से में से 1/9 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादिनी उच्छव कंवर को उद्घोषित किया गया है । खसरा नम्बर 41/3 के लिये वादिनी की बंटवारा की रिलीफ खारिज की गई । केताओं के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी गई । वादिनी के 1/9 हिस्से का खाता व लगान अलग अलग कायम करने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी के वाद में पारित निर्णय दिनांक 23.7.2009 के खिलाफ अपीलार्थी उच्छव कंवर द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की हुई है, जो विचाराधीन है एवं अपील में आदेश दिनांक 1.10.2009 द्वारा अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी व डिक्री दिनांक 213.7.2009 मु.नं. 104/01 की कियान्विति स्थगित की जाकर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया है । इसी के दृष्टिगत प्रश्नगत नामांतरकरण की अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.3.15 पारित कर उक्त अपील के विचाराधीन रहते इस प्रकरण में आदेश दिया जाना उचित नहीं मानते हुये अपील की कार्यवाही स्थगित रखी गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलार्थी के उद्घोषणा एवं बंटवारे संबंधी दावे में उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपीलार्थी की अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश पारित कर उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर , जिला सीकर के आदेश दिनांक 23.7.2009 की कियान्विति स्थगित की जाकर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है । पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील में ही होना है । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । पक्षकारों के मध्य उद्घोषणा एवं बंटवारे संबंधी प्रकरण में अपील के विचाराधीन रहने के कारण अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी

फतेहपुर , जिला सीकर दिनांक 25.3.2015 द्वारा अपील में कार्यवाही स्थगित रखी गई है , जो उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 1.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर